न्यायमूर्तिगण जसबीर सिंह और जी.एस. संधावालिया के समक्ष

सुरिंदर सिंह और अन्य- ***अपीलकर्ता***

बनाम

हरियाणा राज्य- ***प्रतिवादी***

सी०आर०ए० संख्या 197-डी०बी० सन 2002

22 जुलाई, 2013

भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा 302 सपठित धारा 34 - भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 - अपीलकर्ताओं पर हत्या का मुकदमा - परिस्थितिजन्य साक्ष्य - कोई चश्मदीद गवाह नहीं - अंतिम बार देखा गया - अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति - अपीलकर्ताओं के पैर के निशान उनके चप्पल के साथ मिलान किए गए - मृतक के हाथों से लिया गया बाल नमूना एक अपीलकर्ता के बालों से मेल खाता है - शर्ट और चाकू भी बरामद - ट्रायल कोर्ट में दोषी ठहराया गया - अपील की अनुमति - आयोजित - अंतिम बार देखे जाने के मामले में समयावधि पर संपुष्टीकरण आवश्यक है - परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होने के बाद देरी की जांच बहुत सावधानी से की जानी चाहिए - डीएनए प्रक्रिया के माध्यम से बालों की तुलना नहीं की गई थी - मृतक के हाथों से बाल की बरामदगी संदिग्ध - सजा करने के लिए असुरक्षित - तस्वीरों में आसपास के कई लोग दिखाई दे रहे हैं - जमीन गीली थी - मौके पर रोशनी नहीं - यह देखना संभव नहीं है कि क्या पैरों के निशान थे जो पैर के सांचे बना सकते थे - रिपोर्ट एक कमजोर प्रकार का सबूत है - अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है - जिस व्यक्ति के समक्ष इसे बनाया गया था वह एक अलग गांव का था - तीनों अपीलकर्ताओं के उसके पास जाने का कोई कारण नहीं था - चिकित्सा साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करते थे - वसूली किसी भी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं थी - आसानी से लगाया जा सकता था - अपील की अनुमति दी गई और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया।

यह अभिनिर्णीत किया गया कि यह स्वीकृत है कि वर्तमान केस परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है क्योंकि अपराध और अपीलकर्ताओं के खिलाफ आयोजित परिस्थितियों का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है कि मृतक को अपीलकर्ताओं के साथ आखिरी बार देखा गया था, अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति, कथित तौर पर रणधीर सिंह (पीडब्लू 12) को दी गई थी। घटना स्थल से लिए गए फुट-मोल्ड जो अपीलकर्ताओं के फुट-वियर से मेल खाते थे, मृतक के हाथों से लिए गए बालों के नमूने जो अपीलकर्ताओं में से एक के सिर से लिए गए बालों के नमूनों और दो अपीलकर्ताओं से शर्ट और चाकू की बरामदगी से मेल

खाते थे।

(पैरा 2)

यह भी अभिनिर्णीत किया गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि दर्ज करने के लिए अंतिम बार देखे गए सिद्धांत के सिद्धांत में यह प्रावधान है कि जहां उस समय के बीच समय-अंतराल होता है जब अभियुक्त और मृतक को अंतिम बार एक साथ देखा गया था, तो पुष्टि की आवश्यकता होती है। यह केवल तभी होता है जब अंतर इतना छोटा होता है कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध का लेखक होने की संभावना असंभव हो जाती है और केवल तभी न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध इस परिस्थितिजन्य साक्ष्य को प्रतिकूल रूप से लेते हैं।

(पैरा 10)

यह भी अभिनिर्णीत किया गया कि देरी का तथ्य, जैसा कि एफआईआर दर्ज करने में देखा गया है, एक ऐसी परिस्थिति है जिसकी परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होने के बाद बहुत सावधानी से जांच की जानी चाहिए। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, वर्तमान में एक स्पष्ट मामला है जहां शव के खुलासे पर सही समय पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। रिपोर्ट भेजने और मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त करने में देरी भी स्पष्ट है और इस प्रकार, यह अभियोजन पक्ष के गवाह और पुलिस द्वारा एक अंधे हत्या को सुलझाने के लिए अपीलकर्ताओं को आरोपी के रूप में पेश करने के लिए किया गया एक केंद्रित प्रयास है।

(पैरा 14)

यह भी अभिनिर्णीत किया गया कि एक बार मृतक के हाथों से बाल बरामद होने पर संदेह हो जाने के बाद, उक्त बरामदगी के आधार पर इस आधार पर दोषसिद्धि दर्ज करना असुरक्षित होगा कि यह अपीलकर्ता नंबर 3 के बालों से मेल खाता है।

(पैरा 18)

यह भी अभिनिर्णीत किया गया कि, फोटोग्राफर के बयान को देखने से पता चलता है कि जब वह तस्वीरें लेने के लिए वहां गया था तो उस समय पहले से ही 30-40 लोग थे और अगर आसपास इतने सारे लोग थे और जमीन गीली थी, तो अंधेरे में नमूने लेना बहुत मुश्किल होता क्योंकि उस जगह पर रोशनी नहीं थी। इस बारे में स्पष्ट विरोधाभास पहले ही उत्पन्न हो चुका है कि पुलिस दल वहां किस समय पहुंचा और क्या दिन का समय था या नहीं क्योंकि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, जब पुलिस दल शाम लगभग 6/630 बजे घटनास्थल पर पहुंचा, तो यह एक अंधेरी सर्दियों की शाम होगी और यह देखना संभव नहीं होगा कि क्या कोई फुट-प्रिंट था जिसे सांचों में बनाया जा सकता था। इस प्रकार, ये परिस्थितियां अपीलकर्ताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं, इस तथ्य के अलावा कि उक्त रिपोर्ट एक कमजोर प्रकार का सबूत है और निर्णायक प्रकृति का नहीं हो सकता है।

(पैरा 19)

यह भी अभिनिर्णीत किया गया कि इसी तरह, रणधीर सिंह द्वारा किए गए अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति को अनिवार्य रूप से खारिज कर दिया जाना चाहिए क्योंकि रणधीर सिंह गांव धरोड़ी के निवासी थे और उसी गांव के निवासी नहीं थे। उसकी जिरह में यह आया है कि वह न तो पंच था और न ही सरपंच या लंबरदार और उसने गांव का थोलदार होने का दावा किया था, जिसे कोई आधिकारिक विश्वास नहीं दिया जा सकता है। वह एक गैर-मैट्रिकुलैटिक था और एक बनवारी नामक व्यक्ति का दामाद था, जो छज्जू से संबंधित था। शिकायतकर्ता दलबारा सिंह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि उसके एक बेटे की शादी छज्जू की बेटी से हुई है और इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता पक्ष के साथ संबंध थे और इसके अलावा, अपीलकर्ताओं के पास 17.01.2001 को उनके समक्ष एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति करने के लिए जाने और गवाही देने का कोई कारण नहीं होगा। यह स्वीकृत प्रस्ताव है कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इसकी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और पीडब्ल्यू 12, रणधीर सिंह के बयान को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह उसी गांव का निवासी नहीं था, अपीलकर्ताओं के पास अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति करने के लिए उसके पास जाने का कोई अवसर नहीं था, इसके अलावा, यह विश्वास करना कठिन है कि अपीलकर्ता उसके पास गए थे और बयान दिए थे क्योंकि उनमें से एक का कुछ संबंध हो सकता है, लेकिन तीनों को अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति करने के लिए एक ही व्यक्ति के पास क्यों जाना चाहिए, जो अभियोजन पक्ष की आसानी है।

(पैरा 20)

यह भी अभिनिर्णीत किया गया कि चिकित्सा साक्ष्य भी उस हद तक निर्णायक नहीं है जो यह दर्शाता है कि मृतक को शर्ट का उपयोग करके मौत के घाट उतार दिया गया था, जो अभियोजन पक्ष की आसानी है। इस प्रकार उक्त बरामदगी जो किसी भी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है, आसानी से पुलिस द्वारा लगाए जा सकते थे और इकबालिया बयान लिया जा सकता था, जैसा कि वर्तमान आसानी से स्पष्ट है।

(पैरा 21)

दीपेंद्र सिंह, अपीलकर्ताओं के लिए *एडवोकेट ।*

जी.एस. चहल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा सरकार, *प्रतिवादी के अधिवक्ता।*

न्यायमूर्ति जी.एस. संधावलिया:

1) तीन अपीलकर्ताओं, अर्थात् सुरिंदर सिंह, जगपाल और राजबीर सिंह द्वारा दायर वर्तमान अपील, सत्र न्यायाधीश, जींद द्वारा एफआईआर संख्या 17 दिनांक 13.01 .2001, पुलिस स्टेशन सदर, नरवाना में धारा 34 आईपीसी के साथ पठित धारा 302 के तहत दर्ज मामले में दोषसिद्धि के निर्णय दिनांकित 11.02.2002, और सजा का आदेश दिनांक 13.02.2002 के विरुद्ध निर्देशित है। उक्त निर्णय के माध्यम से, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन पक्ष तीनों अपीलकर्ताओं के अपराध को उचित संदेह की छाया से परे लाने में सक्षम रहा है और उन्हें परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर वकील चंद की हत्या का दोषी ठहराया गया और तदनुसार, आजीवन कठोर कारावास और प्रत्येक को 5000/- रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई गई हैऔर जुर्माना अदा करने में चूक करने पर अतिरिक्त 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा भुगतने हेतु दंडित किया गया।

2) बेशक, वर्तमान केस परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है क्योंकि अपराध और अपीलकर्ताओं के खिलाफ आयोजित की गई परिस्थितियों का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है कि मृतक को अंतिम बार अपीलकर्ताओं की कंपनी में देखा गया था, अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति, कथित रूप से रणधीर सिंह (पीडब्लू 12) को दी गई थी, घटना स्थल से लिए गए फुट-मोल्ड जो अपीलकर्ताओं के फुटवियर से मेल खाते थे, मृतक के हाथों से लिए गए बालों के नमूने जो अपीलकर्ताओं में से एक के सिर से लिए गए बालों के नमूनों और दो अपीलकर्ताओं से शर्ट और चाकू की बरामदगी से मेल खाते थे।

3) यह मामला मृतक के पिता दलबारा सिंह (प्रदर्श पीई) के बयान पर 13.01.2001 को शाम 6 बजे दिए गए था, जिसे रघबीर सिंह, एसआई (पीडब्लू 15) द्वारा शाम 6.30 बजे दर्ज किया गया था। उक्त सूचना प्राप्त होने पर उसे सायं 630 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पीई/2) में परिवतत कर दिया गया। प्राथमिकी के अनुसार मृतक वकील चंद गांव रत्ता खेड़ा में बिजली की दुकान चला रहा था और 12 जनवरी 2001 को एक राजनीतिक रैली में अपने चाचा बलवंत सिंह के साथ गोहाना गया था लेकिन रात तक वापस नहीं लौटा। सुबह पूछताछ करने पर, शिकायतकर्ता के भाई बलवंत सिंह ने उन्हें सूचित किया कि वकील चंद, तीन अपीलकर्ताओं के साथ, जो उसी गांव के निवासी थे, नरवाना बस स्टॉप पर उतरे थे। तदनुसार, रिश्तेदारों में मृतक की तलाश की गई और यह पाया गया कि धरोड़ी-नरवाना मार्ग पर धरोड़ी के पृथ्वी सिंह के गेहूं के खेतों में एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था, जिसकी पहचान वकील चंद के रूप में की गई थी। तदनुसार, अपीलकर्ताओं को तब वकील चंद की गर्दन दबाकर उसकी हत्या करने और अन्य चोटें पहुंचाने के आरोपी के रूप में नामित किया गया था क्योंकि अपीलकर्ता नंबर 3 ने उसी गांव के वेडु की बेटी की लज्जा को भंग करने की कोशिश की थी और मृतक ने उसे ऐसा करते हुए देखा था, जो कथित मकसद था। उक्त एफआईआर इस प्रकार है:

"रत्ता-खेड़ा निवासी जाति द्वारा सुंडा सिंह के दलबारा पुत्र जाट, उम्र लगभग 40 वर्ष, आरएस, सदर टोहाना का

बयान:-

कहा कि मैं उपरोक्त पते का निवासी हूं और सभी वर्तमान में 'ढाणी' तैयार करके गांव के बाहर रह रहा हूं। मेरे दो बेटे हैं, उनमें से सबसे बड़ा वकील चंद था, जिसकी उम्र लगभग 21/22 साल थी और उनसे छोटा कृष्ण सिंह है। करीब दो साल पहले मेरे बेटे वकील चंद की शादी गांव देबन में हुई थी। उनके पास अब तक कोई संतान नहीं थी। मेरा बेटा वकील चंद गांव में बिजली के सामान की दुकान चला रहा था दत्ता खेड़ा निवासी जाति के जाट पुत्र दिलीप सिंह पुत्र रामजी लाल के घर में कल 12.01.2001 को सुबह मेरा बेटा वकील चंद अपने भाई बलवंत के साथ गांव वालों के साथ भाजपा की रैली स्थित गोहाना गया था, जो रात में वापस नहीं लौटे। आज सुबह 13.01.2001 को मैंने अपने भाई बलवंत सिंह से पूछा कि आप और वकील चंद रैली में गए थे लेकिन वकील चंद अब तक घर नहीं लौटे हैं, जिन्होंने बताया कि वकील चंद और सुरिंदर पुत्र हवा सिंह, पप्पू पुत्र होशियार सिंह और जगपाल पुत्र लीलू सभी गांव के जाट जाति निवासी हैं, ये चारों हमारे साथ नरवाना तक आए और ये चारों लोग नरवाना बस अड्डा पर बस से निकल गए। मैं, मेरा भाई बलवंत और रेलू वकील चंद के ससुराल में नील, लंबरदार पुत्र मोहिंद्र सिंह, जाट निवासी धारडी और देबन के साथ हमारे संबंधों में वकील चंद की खोज करने जा रहे थे। जब हम अपने रिश्तेदार नील के घर ग्राम धरोड़ी पहुंचे तो नील नंबरदार ने बताया कि धरोड़ी-नरवाना मार्ग पर ग्राम धरोड़ी के पूर्व सरपंच पिरथी सिंह के गेहूं के खेत में सड़क के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा है। तब मैं, मेरा भाई बलवंत और रेलू अपने रिश्तेदार नील को साथ लेकर पिरथीसिंह के खेत में पहुंचे और देखा कि लाश मेरे बेटे वकील चंद की है। वकील चंद की दाहिनी आंख और लिंग के नीचे चोट के निशान मिले हैं जिससे खून निकल रहा है और गर्दन पर सूजन आ गई है और गर्दन पर नीले रंग के निशान भी पड़ गए हैं। 12/13.1.2001 की रात को सुरिंदर पुत्र हवा सिंह, पप्पू पुत्र होशियार और जगपाल पुत्र लीलू ने मेरे पुत्र वकील चंद की गर्दन दबाकर और घायल करके उसकी हत्या कर दी। द्वेष का कारण यह है कि लगभग चार महीने पहले होशियार सिंह के पुत्र पप्पू पुत्र रण सिंह की पुत्री की लज्जा भंग करने की कोशिश की गई थी और वकील चंद ने पप्पू को ऐसा करते हुए देखा था लेकिन वेदु ने लड़की से संबंधित मामला होने का खुलासा नहीं किया। मैं और मेरा भाई बल अपने भाई रेलू और नील को वकील चंद के शव के पास छोड़ने के बाद सूचना देने के लिए पुलिस स्टेशन जा रहे थे, कि आप हमसे मिले। उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आपने मेरा बयान लिखा है, जिसे सुना गया है और सही है। हस्ता/- दलबारा शिकायतकर्ता। सत्यापित हस्ता/- रघबीर सिंह, एसआई/एसएचओ थाना सदर नरवाना 13.01.2001"

4) प्राथमिकी के आधार पर, जांच अधिकारी रघबीर सिंह (PW15) उस स्थान पर गए जहां शव पड़ा था और फोटोग्राफर को शव की तस्वीरें लेने के लिए बुलाया और पूछताछ रिपोर्ट (प्रदर्शनी पीसी) तैयार की। खून से सनी मिट्टी को

सत्यवान (PW11) और उसके भाई बलवान सिंह की उपस्थिति में मेमो (प्रदर्श PO) के माध्यम से उन बालों के साथ कब्जे में लिया गया था जो मृतक (प्रदर्श PQ) के हाथों में थे। घटनास्थल पर तीन अलग-अलग फुट-प्रिंट को सांचों में तैयार किया गया और कब्जे में लिया गया (प्रदर्शनी पीआर) और मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सीमांत नोटों के साथ रफ साइट प्लान (प्रदर्श PZ) तैयार किया गया था। 17.01.2001 को, अपीलकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था, रणधीर सिंह-पी डब्ल्यू 12 द्वारा पेश किया गया था, जिनके समक्ष असाधारण स्वीकारोक्ति की गई थी जिसे जांच अधिकारी (प्रदर्श पीएस, पीटी और पीयू) द्वारा भी दर्ज किया गया था और जूते भी चप्पल और जूते शामिल थे। 19.01.2001 को, उन्हें मौके पर ले जाया गया और उन्होंने सभी तीन अपीलकर्ताओं से संबंधित ज्ञापन (प्रदर्श पीके, पीके/1 और पीके/2) के तहत घटना स्थल की पहचान की और उसके बाद, राजबीर, अपीलकर्ता नंबर 3 ने शर्ट बरामद की जिसे कब्जे में ले लिया गया था (प्रदर्श पीएल) और सुरिंदर सिंह, अपीलकर्ता नंबर 1 ने चाकू बरामद किया जिसे कब्जे में ले लिया गया था (प्रदर्श पीएन) और रफ साइट प्लान भी तैयार किए गए थे जहां से शर्ट थी बरामद (प्रदर्श पीएल) और जहां से चाकू बरामद किया गया था (प्रदर्श पीई)। तत्पश्चात्, अंतिम रिपोर्ट तैयार किए जाने पर, चालान प्रस्तुत किया गया और आरोप तय किए गए, जिसके कारण दोषसिद्धि हुई, जैसा कि ऊपर देखा गया है।

5) सत्र न्यायाधीश, जींद ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य में आसानी थी और कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, अपीलकर्ताओं की दलील से सहमत नहीं था कि प्राथमिकी दर्ज करने में कोई देरी हुई थी और विशेष रिपोर्ट में जो मजिस्ट्रेट द्वारा 14.01.2001 को रात 10:30 बजे प्राप्त की गई थी। अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में विरोधाभास के बारे में, यह माना गया कि तोते जैसे संस्करणों की उम्मीद नहीं की जा सकती है और बलवंत सिंह पीडब्लू 5 ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मृतक गोहाना में राजनीतिक रैली में भाग लेने गया था और नरवाना में तीन अपीलकर्ताओं के साथ उतर गया था और बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। तदनुसार, यह माना गया कि मृतक को आखिरी बार उनकी कंपनी में देखा गया था। 17.01.2001 को रणधीर सिंह के समक्ष की गई न्यायेतर स्वीकारोक्ति पर भी विचार किया गया और यह माना गया कि वह एक स्वतंत्र गवाह थे और उनकी कोई दुश्मनी या दुर्भावना नहीं थी और उनके बयान पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था। इस तथ्य को भी दरकिनार कर दिया गया कि बरामदगी के समय कोई स्वतंत्र गवाह मौजूद नहीं था। यह माना गया कि शर्ट की बरामदगी जिसके साथ मृतक का गला घोंटा गया था और चाकू जो अंडकोष को काटने के लिए इस्तेमाल किया गया था, वह भी उन परिस्थितियों में से एक था जो अपीलकर्ताओं के खिलाफ गई थीं। यह कि मौके से लिए गए फुट-प्रिंट का साँचा जो सुरिंदर और जगपाल द्वारा पहने गए फुट-वियर के साथ तुलना और मिलान किया गया था, अपीलकर्ताओं के खिलाफ लिया गया था। फिर, तथ्य यह है कि मृतक के बाएं हाथ की मुट्ठी और नाखूनों से बरामद बाल अपीलकर्ता, राजबीर सिंह के बालों से मेल खाते थे, अपीलकर्ताओं के खिलाफ एक और परिस्थिति थी। इस तथ्य के बावजूद

कि कोई स्पष्ट मकसद साबित नहीं हुआ था, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि चूंकि बचाव में कोई सबूत नहीं दिया गया था, इसलिए बलवंत सिंह के बयान को ध्यान में रखा जाना था। तदनुसार, यह देखा गया कि मृतक और अपीलकर्ताओं के बीच कुछ संघर्ष था और मृतक ने अपीलकर्ताओं के सिर से बाल खींचे थे जो उसके नाखूनों और मुट्ठी से बरामद किए गए थे और मृतक को 8 चोटें आई थीं और भले ही वह पोलियो से पीड़ित था, उसने मौत के लिए किए जाने से पहले संघर्ष किया था।

6) अपीलकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया है कि घटना का स्थान पिरथी सिंह के खेतों में गांव धरोड़ी में है, जबकि अपीलकर्ताओं को आखिरी बार अल नरवाना में देखा गया था, जहां वे कथित तौर पर राजनीतिक रैली से वापस आने पर वाहन से उतरे थे और इसलिए, उक्त परिस्थिति अपीलकर्ताओं के खिलाफ नहीं रखी जा सकती थी। यह जोरदार तर्क दिया गया था कि शव 13.01.2001 को सुबह खोजा गया था और एफआईआर केवल शाम 6:30 बजे दर्ज की गई थी और एक देरी हुई थी जिसका इस्तेमाल अपीलकर्ताओं को फंसाने और शामिल करने के लिए किया गया था और उन्हें संदेह के कारण एचआर में नामित किया गया था और लाभ अपीलकर्ताओं को मिलना चाहिए। मृतकों की तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें दिन के समय लिया गया था और कथित न्यायेतर स्वीकारोक्ति एक और परिस्थिति थी जो सबूत का एक कमजोर टुकड़ा था और खारिज किए जाने योग्य था। इसी तरह, पैर-मोल्ड और बालों के नमूने जिनके आधार पर दोषसिद्धि दर्ज की गई थी, निर्णायक सबूत नहीं थे जिनका उपयोग अपीलकर्ताओं के खिलाफ किया जा सकता था जो ट्रायल कोर्ट द्वारा गलत तरीके से किया गया था। तदनुसार, यह प्रस्तुत किया गया था कि यह अंधी हत्या का मामला था और केवल संदेह के आधार पर, अपीलकर्ता शामिल थे।

7) दूसरी ओर, राज्य ने निर्णय और दोषसिद्धि का बचाव किया और प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ पर्याप्त परिस्थितिजन्य सबूत थे जिनके आधार पर दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता था। जांच अधिकारी ने साइट का निरीक्षण किया था और पैर-मोल्ड तैयार किए थे और मृतक की मुट्ठी और नाखूनों में मौजूद बालों को अपने कब्जे में ले लिया था और अपीलकर्ताओं की गिरफ्तारी पर, एक डॉक्टर की उपस्थिति में उनसे बालों के नमूने लिए गए थे और फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजे गए थे और अपीलकर्ताओं के खिलाफ रिपोर्ट आई थी जो उन्हें दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त है। अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाने का कोई कारण नहीं था।

8) रिकॉर्ड को देखने और अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों को ध्यान में रखते हुए, हम इस राय के साथ हैं कि सत्र न्यायाधीश, जींद द्वारा अपीलकर्ताओं के खिलाफ दर्ज की गई दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी नहीं है क्योंकि परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं जो केवल अपीलकर्ताओं के अपराध की ओर इशारा कर सकती हैं और श्रृंखला पूरी नहीं हुई है जो अपराध का निष्कर्ष निकाल सकती है और इसे सुसंगत और निष्पक्ष रूप से स्थापित नहीं किया गया है।

9) अंतिम दृश्य की पहली परिस्थिति को अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रतिकूल परिस्थिति नहीं माना जा सकता है,

क्योंकि बाल वन्त सिंह (पीडब्लू 5) के बयान के अलावा रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि मृतक उनके साथ एक राजनीतिक रैली में भाग लेने के लिए गोहाना गया था। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, 12.01.2001 को, मृतक बलवंत सिंह और तीन अपीलकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों के साथ गोहाना में रैली में भाग लेने गए थे और सुबह गांव से निकले थे और उसी वाहन में वापस आ गए थे। हालांकि, तीन अपीलकर्ता और वकील चंद नरवाना में उतर गए, जबकि मृतक के चाचा, बाल वांटेड गांव में उतर गए थे। वाहन से किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति की जांच नहीं की गई है ताकि यह दिखाया जा सके कि यह यात्रा हुई थी। अन्यथा भी, यह अभिलिखित किया गया है कि मृतक विकलांग था और उसका दाहिना पैर पोलियो से प्रभावित था। एक बार ऐसा ही था। अपीलकर्ताओं के साथ नरवाना में उनके उतरने का सवाल ही नहीं उठता, खासकर उनके बीच पहले से ही कथित खराब खून को देखते हुए। दूसरे, विकलांग होने के कारण भी परिवहन के अभाव में नरवाना से गांव वापस आना उनके लिए मुश्किल होता। यह तथ्य कि मृतक के चाचा ने अपने पिता को 12.01.2001 को नरवाना में उतरने के संबंध में सूचित नहीं किया, यह भी बहुत अस्वाभाविक है, हालांकि यह स्पष्ट करने की मांग की गई है कि बलवंत सिंह गांव में रह रहे थे जबकि वकील चंद अपने पिता दलबारा सिंह के साथ खेतों में रह रहे थे। यह बेहद अस्वाभाविक था कि पिता ने रात में पूछताछ नहीं की होगी कि वे गोहाना में रैली से क्यों नहीं लौटे।

10) अंतिम बार देखे जाने का एक अन्य कारक यह होगा कि शव गांव दरोडी में पाया गया था जो नरवाना से कुछ दूरी पर है, जैसा कि जांच अधिकारी, रघबीर सिंह की जिरह से स्पष्ट होगा कि उन्होंने शिकायतकर्ता का बयान (प्रगोष्ठ पीई) रेल मार्ग-क्रॉसिंग पर दर्ज किया था जो 4 किलोमीटर दूर था जहां शव पड़ा था। यह रहस्य का विषय था कि मृतक जो विकलांग था, ने 4 किमी की यात्रा कैसे की। नरवाना से 4 किलोमीटर दूर धरोड़ी गांव के खेतों में पाया गया। और यह कहने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है कि उसे धरोड़ी की ओर जाने वाले अपीलकर्ताओं की कंपनी में देखा गया था और इसलिए, अंतिम दृश्य की परिस्थिति भी संदिग्ध है और अपीलकर्ताओं के खिलाफ नहीं ली जा सकती है। फिर पुष्टि की आवश्यकता है। यह केवल तभी होता है जब अंतर इतना छोटा होता है कि अभियुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध का लेखक होने की संभावना असंभव हो जाती है और केवल तभी न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध इस परिस्थितिजन्य साक्ष्य को प्रतिकूल रूप से लेते हैं। *बोध* ***राज @ बोध और अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य[1], उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सतीश कुमार[2] और रामरेड्डी राजेशखन्ना रेड्डी और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य[3]*** में की गई टिप्पणियों का संदर्भ दिया जा सकता है। रामरेड्डी (सुप्रा) में की गई टिप्पणियों को निम्नानुसार पढ़ा गया:

---

[1] एआईआर 2002 एससी 3164

[2] 2005 (3) एससीसी 114

[3] 2006 (2)आरसीआर (सीआरएल)462

"23. अंतिम बार देखा गया सिद्धांत, इसके अलावा, चलन में आता है जहां उस समय के बीच का समय अंतराल जब आरोपी और मृतक को आखिरी बार जीवित देखा गया था और मृतक मृत पाया गया था, इतना कम है कि आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के अपराध के लेखक होने की संभावना असंभव हो जाती है। इतनी आसानी में भी अदालतों को कुछ पुष्टि की तलाश करनी चाहिए।

11) दूसरा मुद्दा ऍफ0आई0आर के योजन में हुई देरी का प्रश्न है। अभियोजन पक्ष का केस यह है कि मृतक के चाचा बलवंत सिंह उसके साथ थे और रैली से वापस आते समय, मृतक नरवाना में तीन अपीलकर्ताओं के साथ उतर गया था, जबकि बलवंत सिंह उसी वाहन में गांव आया था। अगले दिन ही मृतक के पिता दलबारा सिंह अपने भाई बलवंत सिंह के घर गए, और अपने बेटे के बारे में पूछताछ की और उसके बाद, उसकी तलाश में गांव कलवान गए, फिर गांव धमतान और अंततः गांव धरोडी गए जहां रिश्तेदार नील @ अनिल, लंबरदार निवास कर रहे थे। वहां जाकर उन्हें बताया गया कि पिरथी सिंह के खेतों में एक शव पड़ा हुआ था और वे नील@अनिल के साथ घटनास्थल पर जाकर शव देखा था जिसके दाहिने हाथ में और अंडकोष पर चोट के निशान थे और मृतक की गर्दन पर सूजन थी। शिकायतकर्ता तब अपने भाई के साथ हत्या की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन गया और शाम 6 बजे अपना बयान दर्ज कराया और अपीलकर्ताओं के नामों का उल्लेख किया और मकसद यह था कि राजबीर, अपीलकर्ता नंबर 3 ने वेद प्रकाश की बेटी को छेड़ा था, जिसे मृतक ने लगभग चार महीने पहले देखा था, जिसके कारण उन्होंने कहा कि अपीलकर्ताओं ने मृतक को गला दबाकर मार डाला था। शिकायतकर्ता ने अपनी जिरह में स्वीकार किया है कि सत्यवान और बलवान, जो उसकी पत्नी के भाई थे, भी उसी दिन शाम 6:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचे थे और शव को शाम 6 बजे अस्पताल ले जाया गया था। पी० डब्लू०-4 नील @ अनिल ने अपने बयान में, गवाही दी कि 3/3:15 बजे, शिकायतकर्ता-दलबारा सिंह और उसका भाई रेलू के साथ उसके घर आए थे, वकील चंद की तलाश में और पृथ्वी सिंह के खेतों में पड़े शव की पहचान करने पर, पुलिस को हत्या की रिपोर्ट करने गए थे, जो लगभग 4/4:20 बजे घटनास्थल पर आए थे और शव की तस्वीरें भी ली गई थीं। बलवंत सिंह का बयान भी ऐसा ही है, जो यह मानते थे कि वह अपने भाई के साथ पुलिस के पास गए थे, जो रास्ते में उनसे मिले थे।

12) मौके से खून से सनी मिट्टी बरामद करने के गवाह सत्यवान (पीडब्लू 11) पुत्र जुगपाल निवासी ढकाल के बयान और घटनास्थल से उठाए गए पैरों के निशान के तीन सांचों के रिकवरी मेमो के साथ मृतक की मुट्ठी से बरामद बाल के बयान का अवलोकन किया। पता चलता है कि उसे नील @ अनिल से एक टेलीफोन संदेश मिला था कि उसकी बहन के बेटे का शव पिरथी सिंह के गेहूं के खेत में मिला था। यह संदेश मिलने पर, वह अपने भाई बलवान सिंह के साथ उस स्थान पर गया था जहां पुलिस दल मौजूद था और कुछ टूटे हुए गेहूं के पौधों और पैरों के निशान के साथ वकील चंद के मृत शरीर के नाखूनों और मुट्ठी के बालों के साथ घटनास्थल से खून से सनी मिट्टी ले ली गई थी। उसकी जिरह के अनुसार, संदेश मप 6:00 बजे

प्राप्त हुआ था और वह मप 6:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचा था और उसी दिन मप 6:15 से 6:30 बजे तक शव को सिविल अस्पताल ले जाया गया था और उसके घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पैर के सांचे, बाल और खून से सनी मिट्टी को कब्जे में ले लिया गया था और इन कार्यवाहियों में 45 मिनट बीत चुके थे। जबकि, दूसरी ओर, शशि भूषण, पीडब्लू 13 के बयान से, फोटोग्राफर जिसने शव के तीन स्नैप लिए थे, जो प्रदर्श पी-13 से पी-15 और उनके निगेटिव प्रदर्श पी 16-पी-18 है। यह स्पष्ट किया है कि जांच अधिकारी फोटोग्राफर को लेके आए थे और वे पुलिस के 10-15 मिनट बाद घटनास्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने अपना काम पूरा करने में 5-7 मिनट का समय लिया था और किसी निजी वाहन में लौटे और शाम 7:30 बजे घटनास्थल पर गए थे और अंधेरा था। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि तस्वीरें शाम 6.30 बजे ली गई थीं। जब अंधेरा नहीं था और रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने शाम के चूने में तस्वीरें ली थीं और जब पूरी धूप नहीं थी और प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्हें मौके पर फुट-प्रिंट की तस्वीरें लेने का निर्देश नहीं दिया गया था और न ही उन्होंने ऐसा कोई फुट-प्रिंट देखा था। जब वे वहां पहुंचे तो वहां करीब 30-40 लोग मौजूद थे। जांच अधिकारी रघबीर सिंह की गवाही के अनुसार। एसआई (पीडब्लू 15) के अनुसार, वह गश्त के लिए पूर्वाह्न 11:30 बजे पुलिस स्टेशन से निकले थे और उन्होंने सायं 6:30 बजे बयान (प्रदश पीई) रिकार्डिंग करने वाले डाई फोटोग्राफर ऑल्टर को बुलाया था जो उनके साथ उस स्थान पर पहुंचे थे जहां वह सायं 6:15 बजे पहुंचे थे। अपने संस्करण के अनुसार, उन्होंने पुलिस स्टेशन में वीटी संदेश फ्लैश करके फोटोग्राफर को बुलाया और जब वे मौके पर पहुंचे तो थोड़ा अंधेरा था और कार्यवाही को मौके पर वाहन की रोशनी से रिकॉर्ड किया गया था और जीप की हेडलाइट के अलावा प्रकाश के लिए कोई अन्य व्यवस्था नहीं की गई थी। तस्वीरें तब ली गई थीं, जब थोड़ा अंधेरा था और उन्होंने खुद मौके पर पैरों के निशान देखे थे। घटनास्थल से शव को भेजने के बाद रात 10:30-10:45 बजे सांचों को ले जाया गया और सांचों को ले जाने के लिए सामग्री उनके जांच बैग में थी और उन्होंने नरवाना से पैकिंग के लिए सामग्री की व्यवस्था की थी। इसी तरह एचसी मनफूल सिंह, पीडब्लू 8 का बयान है, जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड के अनुसार गवाही दी कि दिनांक 13.01.2001 के सीरियल नंबर 5 की प्रविष्टि के अनुसार, रघबीर सिंह अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ अक्सर पता लगाने के संबंध में सुबह 11 बजे रवाना हुआ था। हालांकि उन्होंने इस बात से इनकार किया कि धरोड़ी में इलाके में शव पड़े होने की सूचना मिली थी।

13) पहला तथ्य जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि उत्तर भारत में 13 जनवरी, 2001 को सायं 6 बजे जब पहली बार वक्तव्य दर्ज किया गया तो सूर्य अस्त हो चुका था और लगभग 515 बजे सूर्य अस्त हो चुका था और अंधेरा छा गया था। जांच अधिकारी ने यह कहते हुए अपना खंडन किया है कि उस समय प्रकाश था जब वह लगभग 6.30 बजे नरवाना में अपनी जीप से आ रहा था। और अंधेरा नहीं था। जांच अधिकारी ने स्वयं भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कार्यवाही को घटनास्थल पर वाहन की रोशनी में रिकॉर्ड किया गया था और जब वह शाम 6.15 बजे घटनास्थल पर पहुंचे

तो थोड़ा अंधेरा था। तस्वीरों (प्रदर्श P13 से Pl 5) जिन्हें रिकॉर्ड पर रखा गया है और उनके नकारात्मक (प्रदर्श P16 से P18) का अवलोकन स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि तस्वीरें दिन के समय ली गई थीं और फ्लैश की मदद से नहीं ली गई हैं। इस प्रकार, यह तथ्य दिखाता है कि पुलिस के पास पहले से ही जानकारी थी और उसने शाम 6.15 बजे से बहुत पहले शव की खोज की थी, जैसा कि जांच अधिकारी द्वारा गलत तरीके से कहा गया था और उन्होंने पहले ही उस फोटोग्राफर को तलब कर लिया था जिसने दिन के समय तस्वीरें ली थीं। अगर पुलिस को दलबारा सिंह और बलवंत सिंह द्वारा तलब किया गया होता, जैसा कि एफआईआर में कहा गया है, तो खून से सनी धरती के रिकवरी मेमो को सत्यवान (पीडब्लू-11) और बलवान सिंह द्वारा देखा जा रहा था, जो जुगलाल के बेटे थे, जो शिकायतकर्ता की असली बहन के बेटे थे। उनके द्वारा देखे जा रहे बालों (एक्ज़िबिट पीएस) और पैर-मोल्ड (एक्ज़िबिट पीआर) की रिकवरी के बारे में भी यही स्थिति है। जांच अधिकारी के लिए सत्यवान और बलवान की उपस्थिति में उक्त वस्तुओं की बरामदगी करना अस्वाभाविक होता, जब शिकायतकर्ता दलबारा सिंह, घटनास्थल पर मौजूद था, जो पुलिस को बुलाने गया था। इन तथ्यों से पता चलता है कि दलबारा सिंह और बलवंत सिंह बाद में रिश्तेदार सत्यवान और बलवान द्वारा सूचित किए जाने के बाद मौके पर पहुंचे, जिन्होंने पहले ही शव की पहचान कर ली थी। एक और अप्राकृतिक कारक यह है कि नील @ अनिल, लंबरदार, जो मृतक से संबंधित है और जिसने सत्यवान और बलवान को बुलाया था, जानता था कि पिरथी सिंह के खेतों में एक शव पड़ा था, लेकिन दलबारा सिंह और बलवंत सिंह को यह नहीं बताया था कि यह शव वकील चंद का था जब वे 3/3.15 बजे उसके घर गए थे। मृतक की तलाश में। इसके बाद वह उनके साथ खेतों में गया और उस शव की शिनाख्त की। उनके बयान के अनुसार, पुलिस शाम 4/4.30 बजे घटनास्थल पर पहुंची, जो अभियोजन पक्ष के विपरीत था क्योंकि शिकायतकर्ता का बयान शाम 6 बजे दर्ज किया गया था। मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रिपोर्ट अगले दिन 14.01.2001 को रात्रि 10.30 बजे भेजी और प्राप्त की गई, जिसके लिए कोई स्पष्टीकरण भी नहीं है। इस प्रकार, इन सभी संचयी कारकों से पता चलता है कि मृतक का शव शाम 6 बजे से बहुत पहले खेतों से बरामद किया गया था और एचआर को तुरंत दर्ज नहीं किया गया था और देरी का इस्तेमाल अपीलकर्ताओं का नाम लेने के लिए किया गया है कि अपीलकर्ता नंबर 3, राजबीर सिंह ने एक लड़की की विनम्रता को अपमानित किया था और मृतक उक्त घटना का गवाह था। यह तथ्य भी रिकॉर्ड पर साबित नहीं हुआ है क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा घटना के कथित मकसद के बारे में इस तथ्य को साबित करने के लिए किसी से भी जांच नहीं की गई है जो केवल अपीलकर्ता नंबर 3 के खिलाफ था और अन्य दो अपीलकर्ताओं के लिए कोई कारण नहीं था।

14) जैसा कि एफआईआर दर्ज करते समय देरी का तथ्य देखा गया है, एक ऐसी परिस्थिति है जिसकी सावधानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होने के बाद बहुत सावधानी से जांच की जानी चाहिए। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, वर्तमान में एक स्पष्ट मामला है जहां शव के खुलासे पर सही समय पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। रिपोर्ट भेजने और मजिस्ट्रेट

द्वारा प्राप्त करने में देरी भी स्पष्ट है और इस प्रकार, यह अभियोजन पक्ष के गवाह और पुलिस द्वारा एक अंधे हत्या को सुलझाने के लिए अपीलकर्ताओं को आरोपी के रूप में पेश करने के लिए किया गया एक केंद्रित प्रयास है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***मेहराज सिंह (लांस नाइक)*** बनाम ***यूके राज्य[4] के मामले में विलंब*** के मुद्दे पर निम्नानुसार निर्णय दिया था:

> "12. एक आपराधिक आसानी में और विशेष रूप से एक हत्या में एफआईआर मुकदमे में नेतृत्व किए गए सबूतों की सराहना करने के उद्देश्य से सबूत का एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान टुकड़ा है। एचआर के शीघ्र दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य उस परिस्थिति के बारे में जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करना है जिसमें अपराध किया गया था, जिसमें वास्तविक अपराधियों के नाम और उनके द्वारा निभाए गए हिस्से, हथियार, यदि कोई हो, इस्तेमाल किया गया था, और प्रत्यक्षदर्शियों के नाम भी; यदि कोई हो। एफआईआर दर्ज करने में देरी के परिणामस्वरूप अक्सर अलंकरण होता है, जो एक बाद का प्राणी है। देरी के कारण, एफआईआर न केवल सहजता के लाभ से वंचित हो जाती है, बल्कि एक रंगीन संस्करण या अतिरंजित कहानी की शुरूआत का खतरा भी पैदा हो जाता है। यह निर्धारित करने की दृष्टि से कि क्या एफआईआर उस समय दर्ज की गई थी जब इसे कथित रूप से दर्ज किया गया था, अदालतें आम तौर पर कुछ बाहरी जांचों की तलाश करती हैं। इनमें से एक जांच एफआईआर की कॉपी स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा प्राप्त करना है, जिसे हत्या की एक विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। यदि यह रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को देर से प्राप्त होती है, तो यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि एफआईआर उस समय दर्ज नहीं की गई थी, जब तक कि अभियोजन पक्ष स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर की प्रति भेजने या प्राप्त करने में देरी के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सकता है। अभियोजन पक्ष ने इस संबंध में कोई सबूत नहीं दिया है। दूसरी बाहरी जांच समान रूप से महत्वपूर्ण है शव के साथ एफआईआर की कॉपी भेजना और जांच रिपोर्ट में इसका संदर्भ। भले ही सीआरपीसी की धारा 174 के तहत तैयार की गई जांच रिपोर्ट का उद्देश्य एक वैधानिक कार्य करना है, अभियोजन पक्ष को आसानी से विश्वसनीयता प्रदान करना है, लेकिन एफआईआर का विवरण और पूछताछ कार्यवाही के दौरान दर्ज बयानों का सार रिपोर्ट में शामिल हो जाता है। उन विवरणों की अनुपस्थिति इस तथ्य का संकेत है कि अभियोजन पक्ष की कहानी अभी भी भ्रूण की स्थिति में थी और उसे कोई आकार नहीं दिया गया था और एचआर को बाद में उचित विचार-विमर्श और परामर्श के बाद रिकॉर्ड किया गया था और फिर इसे तुरंत दर्ज एचआर का रंग देने के लिए पूर्व-समय पर किया गया था। हमारी राय में। ऊपर देखी गई दुर्बलताओं के कारण, आईएचआर ने अपना मूल्य और प्रामाणिकता खो दी है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इसे 'पूर्व-समय पर किया गया है और पीडब्ल्यू 8 द्वारा मौके पर पूछताछ की कार्यवाही समाप्त होने तक रिकॉर्ड नहीं किया गया था।

---

[4] (1994) 5 एससीसी 188

15) मृतक के हाथों से कथित रूप से बरामद किए गए बालों के नमूनों के मुद्दे पर, इस तथ्य के मद्देनजर अदालत के दिमाग में एक संदेह पैदा हो गया है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों अर्थात् दलबारा सिंह, बलवंत सिंह और अनिल के बयान से यह स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने कभी भी यह बयान नहीं दिया है कि मृतक की मुट्ठी में बाल थे। बल्कि अनिल @ नील (PW4), ने विशेष रूप से कहा है कि उसने शव के आसपास कुछ भी नहीं देखा था और गर्दन में सूजन और अंडकोष पर चोटें थीं, लेकिन मुट्ठी में बालों की उपस्थिति के लिए चुप था। बलवंत सिंह (PW5) का बयान भी ऐसा ही है। फोटोग्राफर शशि भूषण (पीडब्लू 13) ने केवल 3 तस्वीरें ली हैं जो शव से कुछ दूरी पर हैं और कभी भी इली के हाथों की कोई तस्वीर नहीं ली है ताकि यह दिखाया जा सके कि मृतक के हाथ में कुछ था। फोटोग्राफर के बयान में एक स्पष्ट प्रश्न भी निर्देशित किया गया था क्योंकि उसने मृतक के स्नैप को निर्देशित किया था और उसने मृतक के हाथों की स्थिति नहीं देखी थी। उनके क्रॉस में यह भी आया है कि उन्हें मौके पर किसी भी फुट-प्रिंट की तस्वीरों को झील करने का निर्देश नहीं दिया गया था और न ही उन्होंने इस तरह के किसी फुट-प्रिंट को देखा था। इस प्रकार, मृतक के हाथों से बाल बरामद होने का एकमात्र प्रमाण सत्यवान के बयान से है जो मृतक से संबंधित है और जो बालों की कथित बरामदगी का गवाह था और जांच अधिकारी, रघबीर सिंह (पीडब्ल्यू 15) जिसे जांच का जिम्मा सौंपा गया था। आम तौर पर, जांच अधिकारी को दोगुना नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जहां उसके बयानों में स्पष्ट विरोधाभास हैं जो विश्वसनीय, भरोसेमंद और अधिमानतः रिकॉर्ड के साथ पुष्टि नहीं करते हैं, जो वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है और अदालत को लगता है कि वह एक अंधे हत्या को सुलझाने के लिए अपीलकर्ताओं को पेश कर रहा है, तो उसकी जांच को एक चुटकी नमक के साथ लिया जाना चाहिए।

16) रिकवरी मेमो के अवलोकन से पता चलता है कि इसे मृतक के दोनों हाथों से बरामद किया गया था और 14.01.2001 को जमा किया गया था। कांस्टेबल मनफूल सिंह (प्रदशत पीआई 1) के शपथ पत्र के अनुसार खून से सनी मिट्टी और पैरों के निशान के सांचों के साथ, मौके से उठाया गया और एफएसएल के पास जमा करने के लिए 16.01.2001 को भेजा गया, मधुबन, कांस्टेबल कृष्ण चंद (प्रदर्श पीजी) के शपथ पत्र के अनुसार। आरोपियों को 17.01.2001 को दोपहर 3.15 बजे गिरफ्तार किया गया और उनके बालों के नमूने 6/6.20 बजे के बीच डॉ एचसी मित्तल, पीडब्लू 16, जो जनरल अस्पताल, नरवाना में तैनात थे, की उपस्थिति में लिए गए। इसके बाद उक्त नमूने 17.01.2001 को जमा किए गए और फिर 30.01.2001 को कांस्टेबल बलबीर सिंह (प्रदर्शक पीई) के हलफनामे के अनुसार ईएसएल, मधुबन को भेज दिए गए। 1 की रिपोर्ट के अनुसार:(ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10-08-2001 के पत्र सं एसएल, मधुबन के दिनांक 10-08-2001 के पत्र सं 2001 (प्रदर्श पीआईटी) के साथ संबंध स्थापित किया है जो मृतक की मुट्ठियों के बालों और बाएं हाथ के नाखूनों से मेल खाता है जो राजबीर के सिर से लिए गए बाल थे जबकि अन्य नमूने मेल नहीं खा रहे थे और अन्य बालों के मिलान के संबंध में कोई राय नहीं दी जा सकी। उन्होंने कहा कि 17.01.2001 को अपीलकर्ताओं से लिए

गए नमूने मजिस्ट्रेट से कोई अनुमति लिए बिना थे और अपीलकर्ताओं को नमूने लेने से इनकार करने के उनके अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया गया था।

17) डीएनए प्रक्रिया के माध्यम से बालों की तुलना का विज्ञान नहीं किया गया था और रिपोर्ट ने उनकी रूपात्मक और सूक्ष्म विशेषताओं के संबंध में एक दूसरे के साथ समानताएं दिखाई। 'रिपोर्ट निम्नानुसार पढ़ती है:

"प्रयोगशाला परीक्षा

प्रदर्शों पर रक्त की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण किए गए थे। इस प्रकार पाए गए रक्त को इसकी उत्पत्ति की प्रजातियों को निर्धारित करने के लिए सीरोलॉजिकल परीक्षणों के अधीन किया गया था। प्रदर्शनी - 2, 3, 8, 9 और 10 से बरामद बालों की जांच की गई और सूक्ष्म और रूपात्मक रूप से तुलना की गई। इन परीक्षाओं के आधार पर प्राप्त परिणाम नीचे दिए गए हैं:-

1. प्रदर्श-1 (रक्तरंजित पृथ्वी), प्रदर्श-7ए (पंत), सीएक्सहिबिट-7बी (जर्सी) और प्रदर्श-14 (चाकू) पर रक्त पाया गया। तथापि, प्रदर्श-2 (बाल), प्रदर्श-3 (बाल), सीक्सिबिट-7ग (मोजे), प्रदर्श-8 (बाल), प्रदर्श-9 (बाल) और प्रदर्श-10 (बाल) पर रक्त का पता नहीं लगाया जा सका।

2. प्रदर्श-2,3,8,9 और 10 से बरामद बालों की पहचान मानव बाल के रूप में की गई। प्रदर्शनी -2 में बाल और प्रदर्शनी -9 में बालों ने अपनी रूपात्मक और सूक्ष्म विशेषताओं के संबंध में एक दूसरे के साथ समानताएं दिखाई। प्रदर्शनी-8, 9 और 10 में बालों के साथ प्रदर्शन-3 में बालों के मिलान के बारे में राय नहीं दी जा सकी क्योंकि प्रदर्शनी-3 में बाल तुलना के लायक अजीबोगरीब विशेषता बनाने के लिए अपर्याप्त थे।

नोट:

i. इसके साथ संलग्न रक्त चाप के सीरोलॉजिकल विश्लेषण के परिणाम।

ii. परीक्षाओं के बाद, प्रदर्शनी (ओं) को उनके मूल आवरण (ओं) के साथ AD/Bio FSL(l1) की मुहर के साथ बढ़ाया गया है/किया गया है।

iii. पार्सल संख्या IV, V, VI, XL, XII और XIII के संबंध में सामान्य अनुभाग की रिपोर्ट मूल रूप से संलग्न है।

हस्ता/- 17.8.2001

(डॉ.एम.के.गोयल)

सहायक निदेशक (जीव विज्ञान)

फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (II)

मधुबन (करनाल)

18) उक्त रिपोर्ट को इस तथ्य का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता है कि मृतक की मुट्ठी में से एक के बाल अपीलकर्ता नंबर 3 के बालों से मेल खा रहे थे, क्योंकि पहले हुई चर्चा के मद्देनजर इस बात पर संदेह है कि मृतक के हाथों में बाल मौजूद थे या नहीं। ***हिमांग्शु पहाड़ी*** बनाम ***राज्य के मामले में***[5]**,** यह माना गया है कि उक्त विज्ञान एक आदर्श विज्ञान नहीं है और इस प्रकार, दृढ़ विश्वास का आधार नहीं हो सकता है और रिपोर्ट पर भरोसा करना असुरक्षित होगा। एक बार मृतक के हाथों से बाल बरामद होने के बाद उक्त बरामदगी के आधार पर इस आधार पर दोषसिद्धि दर्ज करना असुरक्षित होगा कि यह अपीलकर्ता नंबर 3 के बालों से मेल खाता है।

19) पैर-मोल्डों के संबंध में भी यही स्थिति होगी। जैसा कि ऊपर देखा गया है, स्वयं जांच अधिकारी के बयान के अनुसार कि वह रात में साइट पर पहुंचे थे और मैदान गीला था और कार्यवाही को मौके पर वाहन की रोशनी के साथ रिकॉर्ड किया गया था और सर्दियों की शाम को 10/10.30 बजे मोल्ड तैयार किए गए थे, बिना रोशनी की व्यवस्था के। फोटोग्राफर के बयान को पढ़ने से पता चलता है कि घटनास्थल पर पहले से ही 30-40 लोग मौजूद थे जब वह तस्वीरें लेने के लिए वहां गए थे और अगर आसपास इतने सारे लोग होते और जमीन गीली होती, तो अंधेरे में नमूने लेना बहुत मुश्किल होता क्योंकि वहां कोई रोशनी नहीं थी। इस बारे में स्पष्ट विरोधाभास पहले ही उत्पन्न हो चुका है कि पुलिस दल वहां कब पहुंचा और क्या दिन का समय था या नहीं, क्योंकि अभियोजन की सहजता के अनुसार, जब पुलिस दल लगभग 6/6:30 बजे घटनास्थल पर पहुंचा।, यह एक अंधेरी सर्दियों की शाम होगी और यह देखना संभव नहीं होगा कि क्या कोई लूट-प्रिंट था जो सांचों में बनाया जा सकता था। इस प्रकार, ये परिस्थितियां अपीलकर्ताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं हैं, इस तथ्य के अलावा कि उक्त रिपोर्ट एक कमजोर प्रकार का सबूत है और निर्णायक प्रकृति का नहीं हो सकता है जैसा कि ***निरंजन लाल*** बनाम ***हरियाणा राज्य में***[6] ***आयोजित किया गया है।***

20) इसी तरह, रणधीर सिंह द्वारा की गई गैर-न्यायिक स्वीकारोक्ति को अनिवार्य रूप से खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि रणधीर सिंह गांव धरोड़ी के निवासी थे और उसी गांव के निवासी नहीं थे। उसकी जिरह में यह आया है कि वह न तो खेत था और न ही सरपंच या लंबरदार और उसने गांव का थोलदार होने का दावा किया था, जिसे कोई आधिकारिक

---

[5] 1986 **सीएलजे** 622

[6] 1994 (2) आरसीआर (सीएल) 620

विश्वास नहीं दिया जा सकता है। 11c एक गैर-मैट्रिक 1 एटीसी था और एक बनवारी का दामाद था जो छज्जू से संबंधित था। शिकायतकर्ता दलबारा सिंह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि उनके एक बेटे की शादी छज्जू की बेटी के साथ हुई है और इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता पक्ष के साथ संबंध थे और इसके अलावा, अपीलकर्ताओं के पास 17.01.2001 को उनके समक्ष एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति करने के लिए जाने और गवाही देने का कोई कारण नहीं होगा। यह स्वीकृत प्रस्ताव है कि न्यायेतर स्वीकारोक्ति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है और इसकी सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और पीडब्ल्यू 12, रणधीर सिंह के बयान को ध्यान में रखते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह उसी गांव का निवासी नहीं था, अपीलकर्ताओं के पास अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति करने के लिए उसके पास जाने का कोई अवसर नहीं था, इसके अलावा, यह विश्वास करना कठिन है कि अपीलकर्ता उसके पास गए थे और बयान दिए थे क्योंकि उनमें से एक का कुछ संबंध हो सकता है, लेकिन तीनों को अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति करने के लिए एक ही व्यक्ति के पास क्यों जाना चाहिए, जो अभियोजन पक्ष की आसानी है। उनके बयान के अनुसार, अपीलकर्ताओं को एक जीप में पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जबकि जांच अधिकारी के अनुसार, आरोपियों को उनके सामने नहर के पास कांची मोड़ पर दोपहर 3:15 बजे गांव डुमरखान कलां की राजस्व संपत्ति में पेश किया गया था और उन्होंने कांची मोड़ रिकॉर्डिंग कार्यवाही में लगभग तीन घंटे बिताए थे और वह शाम 6:15/6:50 बजे उक्त स्थान से चले गए थे। यह भी रिकॉर्ड में दर्ज है कि बालों के नमूने शाम 6/6:20 बजे के बीच लिए गए थे, जिससे पता चलता है कि जांच अधिकारी के बयान में विरोधाभास है कि वह अपीलकर्ताओं के साथ कहां और कब मौजूद थे। ***पंचो बनाम हरियाणा राज्य***[7] *के मामले में* माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि न्यायेतर संस्वीकृति की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और अन्य साक्ष्यों से पुष्टि की तलाश करने के बाद और कमजोर प्रकार के साक्ष्य होने चाहिए और केवल तभी जब यह विश्वास और रिकॉर्ड पर अन्य परिस्थितियों को पेरित करता है, तो उन्हें ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रासंगिक अवलोकन नीचे के रूप में पढ़ें:

> "10. ए1 -प्रथम द्वारा की गई अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति अभियोजन मामले का मुख्य मुद्दा है। यह सच है कि इसके निर्माता के खिलाफ एक असाधारण स्वीकारोक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सावधानी के तौर पर, अदालतें रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सबूतों से इसकी पुष्टि की तलाश करती हैं। गोपाल साह बनाम बिहार राज्य मामले में इस अदालत ने एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति से निपटने के दौरान कहा कि एक अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति कमजोर सबूत है और अदालतें ठोस परिस्थितियों की श्रृंखला के अभाव में, दोषसिद्धि दर्ज करने के उद्देश्य से उस पर भरोसा करने के लिए अनिच्छुक हैं। इसलिए, हमें पहले यह पता लगाना चाहिए कि क्या ए1-प्रथम की

---

[7] 2004 (4) आरसीआर 645

अतिरिक्त-न्यायिक स्वीकारोक्ति आत्मविश्वास को प्रेरित करती है और फिर यह पता लगाना चाहिए कि क्या इसका समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर अन्य ठोस परिस्थितियां हैं।

इसी प्रकार की टिप्पणियां ***सहदेवन* बनाम *तमिलनाडु राज्य***[8] में भी की गई हैं।

21) अपीलकर्ताओं के खिलाफ बरामदगी की अंतिम परिस्थिति का भी कोई परिणाम नहीं है क्योंकि यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि हालांकि अपीलकर्ताओं को 17.01.2001 को 3:15 बजे गिरफ्तार किया गया था, जैसा कि ऊपर देखा गया है, लेकिन 19.01.2001 तक वसूली करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था और यह केवल 19.01.2001 को था कि घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था और राजबीर सिंह से 19.01.2001 में बुश बीमार की वसूली की गई थी। पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति और किसी भी स्वतंत्र सार्वजनिक व्यक्ति को संबद्ध नहीं किया गया था, हालांकि पुलिस के पास पर्याप्त समय था। इसी प्रकार सुरिंदर सिंह के बयान पर भी चाकू की बरामदगी 19.01.2001 को हुई थी। किसी भी व्यक्ति को आम जनता से संबद्ध किए बिना और इसलिए, अपीलकर्ताओं के खिलाफ वसूली पर विचार नहीं किया जा सकता है। अभियोजन पक्ष का स्पष्ट मामला यह है कि अपीलकर्ताओं ने मृतक का गला घोंटने के लिए शर्ट का इस्तेमाल किया था, जबकि डॉ. आरके सिंगला (पीडब्लू 1) के बयान के अनुसार। गर्दन के पूर्वकाल भाग केंद्र पर केवल 3 सेमी x 1.5 सेमी का एक संलयन मौजूद था और मृतक की गर्दन पर कोई संयुक्ताक्षर का निशान नहीं था। हालांकि, उन्होंने आगे कहा है कि उक्त चोट शर्ट का उपयोग करने के कारण हो सकती है लेकिन मौत का कारण थ्रॉटलिंग के कारण था जो प्रकृति में पूर्व-मृत्यु थी। चिकित्सीय साक्ष्य भी उस सीमा तक निर्णायक नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि मृतक की कमीज का उपयोग करके उसकी हत्या की गई थी, जैसा कि अभियोजन पक्ष का मामला है। इस प्रकार, उक्त बरामदगी जो किसी भी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित नहीं है, आसानी से पुलिस द्वारा लगाए जा सकते थे और इकबालिया बयान लिया जा सकता था, जैसा कि वर्तमान आसानी से स्पष्ट है। ***मधु* बनाम *केरल राज्य***[9] मामले में सोने के आभूषणों के रूप में की गई बरामदगी को अपीलकर्ताओं द्वारा लगाया गया माना गया था और तदनुसार दोषसिद्धि के निर्णय को उलट दिया गया था। वर्तमान में कमीज और चाकू जैसी चीजें बरामद की गई हैं, जो पुलिस द्वारा आसानी से लगाई जा सकती थीं और इस प्रकार, उक्त बरामदगी से अभियोजन पक्ष को कोई लाभ नहीं हो सकता है।

22) इस प्रकार, सबूतों के एक संचयी पठन से पता चलता है कि यह अंधी हत्या का केस था और अपीलकर्ताओं को झूठा फंसाया गया था और कोई निर्णायक सबूत नहीं था जिसके द्वारा उन्हें वकील चंद की हत्या करने का दोषी ठहराया जा सकता था। यह तय है कि केवल संदेह, चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, अपीलकर्ताओं को सजा देने का आधार नहीं हो

---

[8] 2012 (6) **एससीसी** 403

[9] 2012 (2) **एससीसी** 399।

सकता है क्योंकि यह अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह उचित संदेह से परे अपनी सहजता साबित करे और वर्तमान मामले में, यह स्पष्ट रूप से संदेह के आधार पर है कि दोषसिद्धि दर्ज की गई थी। यह न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं है कि ऐसी परिस्थितियां सुसंगत थीं जो अपीलकर्ताओं के अपराध को जन्म देंगी और सबूतों की श्रृंखला पूरी हो गई थी और अपीलकर्ताओं के अपराध के अनुरूप किसी अन्य निष्कर्ष पर ले जाने के लिए कोई उचित आधार नहीं था। यह तय कानून है कि जब दो संभावनाएं हों; एक दोषसिद्धि के लिए और दूसरा, अभियुक्त के पक्ष में; अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाना है और दोषसिद्धि अनुमान के आधार पर नहीं हो सकती। न्यायालय को परिस्थितियों के बारे में इतना पूर्ण होना चाहिए और केवल तभी जब उन पर सामूहिक रूप से विचार किया जाता है और केवल एक अप्रतिरोध्य निष्कर्ष पर ले जाना चाहिए कि अपीलकर्ता अकेले अपराध के अपराधियों को दोषी ठहराते हैं, तभी दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है। वर्तमान स्थिति में, हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि अभियोजन पक्ष अपीलकर्ताओं के खिलाफ अपना मामला साबित करने में विफल रहा है। तदनुसार, अपील स्वीकृत की जाती है और अनुमति दी जाती है और अपीलकर्ताओं पर लगाए गए दोषसिद्धि के फैसले को अपास्त किया जाता है। जमानत पर रहने वाले अपीलकर्ताओं के जमानत बांड को तदनुसार मुक्त कर दिया जाता है ।

जे.एस**. *मेहंदीरत्ता***

अस्वीकरण : *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।*

परीक्षित
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
महम, रोहतक,हरियाणा